

भारत सरकार  
संचार मंत्रालय  
दूरसंचार विभाग

लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न सं. 2556  
उत्तर देने की तारीख 11 दिसम्बर, 2024

पीएम-वाणी योजना

2556. श्री धैर्यशील राजसिंह मोहिते पाटील:  
श्रीमती सुप्रिया सुले:  
श्री संजय दीना पाटिल:  
श्री अमर शरदराव काले:  
प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़:  
श्री भास्कर मुरलीधर भगरे:  
डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हे:  
श्री बजरंग मनोहर सोनवणे:  
श्री निलेश ज्ञानदेव लंके:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) महाराष्ट्र में पीएम-वाणी योजना के अंतर्गत स्थापित सार्वजनिक डेटा कार्यालयों (पीडीओ) की संख्या कितनी है;
- (ख) राज्य में पीडीओ की सबसे अधिक और सबसे कम संख्या वाले जिले कौन-कौन से हैं;
- (ग) महाराष्ट्र के सभी जिलों में पीएम-वाणी कवरेज का विस्तार करने की समय-सीमा क्या है;
- (घ) महाराष्ट्र के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रचालित पीएम-वाणी वाई-फाई हॉटस्पॉट की संख्या कितनी है;
- (ङ) राज्य के सुदूर क्षेत्रों में वाई-फाई सेवाओं तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;
- (च) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में सहभागिता को प्रोत्साहित करने के लिए कोई प्रोत्साहन प्रदान कर रही है;
- (छ) महाराष्ट्र में पीएम-वाणी की शुरुआत से लेकर अब तक, इसके अंतर्गत वाई-फाई सेवाओं का लाभ उठाने वाले उपयोगकर्ताओं की कुल संख्या कितनी है;
- (ज) महाराष्ट्र में योजना के अंतर्गत प्रति उपयोगकर्ता औसत डेटा खपत कितनी है;
- (झ) क्या सरकार ने महाराष्ट्र में सार्वजनिक डेटा कार्यालयों (पीडीओ) की स्थापना के लिए स्थानीय उद्यमियों या छोटे व्यवसायों के साथ सहयोग किया है;
- (ञ) यदि हां, तो उक्त सहयोग का ब्यौरा क्या है; और
- (ट) सरकार द्वारा इन हितधारकों को क्या वित्तीय या तकनीकी सहायता प्रदान की गई है?

## उत्तर

**संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री  
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)**

(क) से (घ) प्रधान मंत्री वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस (पीएम-वाणी) फ्रेमवर्क का उद्देश्य डिजिटल इंडिया के निर्माण और उसके परिणामी लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से देश में सार्वजनिक वाई-फाई हॉटस्पॉट स्थापित करके इंटरनेट सेवाओं के प्रसार में तेजी लाना है।

पीएम-वाणी फ्रेमवर्क के अंतर्गत, सार्वजनिक डेटा कार्यालय (पीडीओ) अपने तकनीकी-वाणिज्यिक प्रतिफलों के आधार पर वाणी के अनुरूप वाई-फाई हॉटस्पॉट की स्थापना, संचालन और रखरखाव करते हैं और ग्राहकों को इंटरनेट सेवाएं प्रदान करते हैं। इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए पीडीओ को पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर (पीडीओए) के साथ भागीदारी करने की आवश्यकता होती है।

दिनांक 05.12.2024 की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र में स्थापित पीएम-वाणी वाई-फाई हॉटस्पॉट की कुल संख्या 16,362 है। पीएम-वाणी वाई-फाई हॉटस्पॉट की अधिकतम और न्यूनतम संख्या वाले जिले मुंबई और हिंगोली हैं जिनमें वाई-फाई हॉटस्पॉट क्रमशः 2218 और 11 हैं। आज की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र के सभी जिलों में पीएम-वाणी हॉटस्पॉट कार्य कर रहे हैं। ग्रामीण/शहरी क्षेत्र-वार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ड) और (च) वाई-फाई सेवाओं के लिए समान पहुँच सुनिश्चित करने के लिए विभाग अपनी फील्ड इकाइयों के माध्यम से सेमिनारों के आयोजन, प्रेस ब्रीफ और विज्ञापनों के माध्यम से पीएम-वाणी स्कीम का संवर्धन करता है। अक्टूबर 2024 की स्थिति के अनुसार विभाग ने पीएम-वाणी के बारे में जागरूकता लाने के लिए 516 कार्यशालाएं/सेमीनार आयोजित किए, 298 प्रेस ब्रीफ और 172 विज्ञापन जारी किए हैं।

इसके अतिरिक्त, ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की पहुँच प्रदान करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डिजिटल भारत निधि (डीबीएन) से वित्तपोषित किए जाने वाले संशोधित भारतनेट कार्यक्रम (एबीपी) को दिनांक 04.08.2023 को मंजूरी दी है। इस कार्यक्रम में 2.64 लाख ग्राम पंचायतों (जीपी) को ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी प्रदान करने और लगभग 3.8 लाख गैर-ग्राम पंचायत गांवों को मांग के आधार पर ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। इसके अतिरिक्त, इस कार्यक्रम में 7,269 ब्लॉकों में इंटरनेट लीज्ड लाइन (आईएलएल) बैंडविड्थ की पेशकश करने और प्रत्येक फाइबर टू दी होम (एफटीटीएच) ग्राहक के लिए कम से कम 25 एमबीपीएस की डाउनलोड स्पीड को सुनिश्चित करने की योजना है। इस कार्यक्रम में पाँच वर्षों की अवधि के दौरान ग्रामीण परिवारों, संस्थाओं और उद्यमों को 1.50 करोड़ घरेलू फाइबर कनेक्शन प्रदान करने की भी परिकल्पना की गई है।

(छ) और (ज) दिनांक 05.12.2024 की स्थिति के अनुसार, देश में पीएम-वाणी के अनन्य उपयोगकर्ताओं की संख्या 18,19,674 है और कुल डेटा की खपत 58.55 पीबी (पेटाबाइट्स) है। पीएम-वाणी उपयोगकर्ताओं का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार अलग-अलग ब्यौरा और राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र-वार प्रति उपयोगकर्ता औसत डेटा खपत की जानकारी का रखरखाव नहीं किया जाता है।

(झ) से (ट) विभाग द्वारा ऐसा कोई सहयोग नहीं किया गया है। तथापि, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, विभाग अपनी फील्ड इकाइयों के माध्यम से जागरूकता फैलाने के लिए और स्कीम की पहुँच को बढ़ाने के लिए सेमिनार आयोजित करके, प्रेस ब्रीफ और विज्ञापन देकर स्कीम का संवर्धन करता है।